"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2010—चैत्र 6, शक 1932

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक/आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2010/2285.—छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25-05-1982 के अनुसरण में, मैं विवेक ढांड, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूं :—

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
जुलाई, 2009	3653
अगस्त, 2009	3698
सितम्बर, 2009	3722
अक्टूबर, 2009	3767
नवम्बर, 2009	3836
दिसम्बर, 2009	3855
योग	$\frac{22531}{6} = 3755$

इनका औसत 3755 घोषित करता हूं, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा. श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4-(सी)-3-97-सोलह ए, दिनांक 05-02-1997 (राजपत्र, दिनांक 06-02-1997) द्वारा परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है.

हस्ता./-
(विवेक ढांड)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर.

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

राजपत्र (असाधारण), दिनाँक 06.02.1997 के पृष्ठ क्रमांक 86 से 86(22) तक श्रम विभाग, की अधिसूचना दिनाँक 05.02.1997, जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत् 33 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4(सी)–7–82–श्रम–16 ए, दिनाँक 26.06.1987 को अधिक्रमित करते हुए, नई अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(सी)–3–97–16–ए, दिनाँक 05.02.1997, जो राजपत्र, दिनाँक 06.02.1997 में प्रकाशित हुई है, के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई है ।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2010 / ----- दिनाँक -------- के अनुसार जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 3755 रहा है, इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100), जुलाई से दिसंबर, 1993 के आधार पर आँकड़ों के ऊपर कुल 2474 औसत बिंदुओं तथा जुलाई 2009 से दिसम्बर, 2009 तक की अवधि में 339 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है । परिणामस्वरूप 33 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता रूपया 1.00 (एक रूपया) प्रति बिंदु प्रति माह के मान से 339.00 रूपये तथा कुल 2474.00 रूपये या 95.15 रूपये प्रतिदिन (26 दिन के मान से) दिनाँक 01.04.2010 से 30.09.2010 तक देय है। (अनुसूची अ, ब, स)

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक / 303 / आर / 577 / 92 / नि–5 / 4, दिनाँक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनाँक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं विवेक ढांड, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतदद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूची–"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनाँक 01.04.2010 से 30.09.2010 तक देय है।

अनुसूची–"अ"

33 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता सम्मिलित है । (आँकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनाँक 01.10.2009 से 31.3.2010							दिनाँक 01.04.2010 से 30.09.2010					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014.00	39.00	2135	82.11	3149.00	121.11	अकुशल	1014.00	39.00	2474	95.15	3488.00	134.15
1122.00	43.15	2135	82.11	3257.00	125.26	अर्धकुशल	1122.00	43.15	2474	95.15	3596.00	138.31
1232.00	47.38	2135	82.11	3367.00	129.50	कुशल	1232.00	47.38	2474	95.15	3706.00	142.54

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत् 33 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट–"अ" तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट–"ब" में देखें ।

हस्ता./-
(विवेक ढांड)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर.

परिशिष्ट—"अ"

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत् अनुसूचित नियोजनों की सूची

क्रमांक	नियोजन का नाम
1.	किसी कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	वन उपज तथा वन लगाने में नियोजन
3.	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्यों में नियोजन
4.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चांवल मिल, आटा—मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुर्रा पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	खाद्य पदार्थ जिमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित हैं एवं पेयके निर्माण में नियोजन
13.	पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्रणालय में नियोजन
16.	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
17.	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	चूना भट्ठा में नियोजन
20.	ईंट भट्ठों में नियोजन
21.	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	कोसा उद्योग में नियोजन
24.	खांडसारी उद्योग में नियोजन
25.	पाटरिंज जिसमें रिफेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य रिसेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26.	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	कत्था उद्योग में नियोजन
29.	रामरज या गेरू के निर्माण में नियोजन
30.	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
31.	बोन मिल में नियोजन
32.	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा—2 (क) परिभाषित की गई, चलाई जाती है, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत् नहीं आती है, में नियोजन.।

परिशिष्ट–"ब"

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत् बनाए गए नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर माह में सभी अवकाश के दिनाँक का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा ।
2. कर्मचारी के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए हैं, उदाहरण स्वरूप है न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाली कर्मचारी को देय है ।
3. कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की व्याख्या

(क) कुशल कर्मचारी वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए ।

(ख) अर्धकुशल कर्मचारी वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाएँ, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित है ।

(ग) अकुशल कर्मचारी वह है जो ऐसे सीधे साधे कार्य करता है, उसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है । इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं एवं भाव से परिचित होना चाहिए ।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी ।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है । यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे ।
6. न्यूनतम वेतन दरों से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है ।
7. जहाँ कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे जो आठ घंटे दैनिक छः दिन कार्य करते हैं एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो ।

हस्ता./-

(विवेक ढांड)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

छत्तीसगढ़, रायपुर.

अनुसूची—"ब"

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है । (आँकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनाँक 01.10.2009 से 31.3.2010									दिनाँक 01.04.2010 से 30.09.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1589.00	61.11	2135.00	80.11	3724.00	143.23	कटर्स	1589.00	61.11	2474.00	95.15	4063.00	156.27
1356.00	52.15	2135.00	80.11	3493.00	134.34	रोलर्स, मिस्त्री, पाईटर्स	1356.00	52.15	2474.00	95.15	3830.00	147.31
1173.00	45.11	2135.00	80.11	3308.00	127.23	पेपर, पट्टी पेकर, सीवर	1173.00	45.11	2474.00	95.15	3647.00	140.27
1232.00	47.38	2135.00	80.11	3367.00	129.50	मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	1232.00	47.38	2474.00	95.15	3706.00	142.54
1014.00	39.00	2135.00	80.11	3149.00	121.11	मजदूर	1014.00	39.00	2474.00	95.15	3488.00	134.15

हस्ता./-
(विवेक ढांड)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर.

अनुसूची–"स"

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है । (आँकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनाँक 01.10.2009 से 31.3.2010							दिनाँक 01.04.2010 से 30.09.2010					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						लिपिकीय वर्ग						
1232.00	47.38	2135.00	82.11	3367.00	129.50	श्रेणी एक,	1232.00	47.38	2474.00	95.15	3706.00	142.54
1122.00	43.15	2135.00	82.11	3257.00	125.26	श्रेणी दो,	1122.00	43.15	2474.00	95.15	3596.00	138.31
						कुशल श्रेणी						
1416.03	54.46	2135.00	82.11	3551.03	136.57	श्रेणी एक	1416.03	54.46	2474.00	95.15	3890.03	149.62
1303.05	50.11	2135.00	82.11	3438.05	132.23	श्रेणी दो	1303.05	50.11	2474.00	95.15	3777.05	145.27
1232.00	47.38	2135.00	82.11	3367.00	129.50	श्रेणी तीन,	1232.00	47.38	2474.00	95.15	3706.00	142.54
						अर्धकुशल श्रमिक						
1234.17	47.46	2135.00	82.11	3369.17	129.58	श्रेणी एक	1234.17	47.46	2474.00	95.15	3708.17	142.62
1122.00	43.15	2135.00	82.11	3257.00	125.26	श्रेणी दो	1122.00	43.15	2474.00	95.15	3596.00	138.31
1014.00	39.00	2135.00	82.11	3149.00	121.11	अकुशल श्रमिक	1014.00	39.00	2474.00	95.15	3488.00	134.15

हस्ता./–

(विवेक ढांड)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

छत्तीसगढ़, रायपुर.

अनुसूची–"क"

छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है । (आँकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनाँक 01.10.2009 से 31.3.2010										दिनाँक 01.04.2010 से 30.09.2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014.00	33.80	2135.00	71.16	3149.00	104.96	अकुशल	1014.00	33.80	2474.00	82.47	3488.00	116.27
1122.00	37.40	2135.00	71.16	3257.00	108.56	अर्धकुशल	1122.00	37.40	2474.00	82.47	3596.00	119.87
1232.00	41.06	2135.00	71.16	3367.00	112.23	कुशल	1232.00	41.06	2474.00	82.47	3706.00	123.53

विशेष टीप : उपर्युक्त निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित करने से साप्ताहिक विश्राम दिवस का पारिश्रमिक सम्मिलित नहीं है ।

हस्ता./-
(विवेक ढांड)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक/आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2010/2285.—छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25-05-1982 के अनुसरण में, मैं विवेक ढांड, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जिसके अनुसार जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूं :—

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
जुलाई, 2009	2939
अगस्त, 2009	2992
सितम्बर, 2009	3033
अक्टूबर 2009	3057
नवम्बर, 2009	3133
दिसम्बर 2009	3169
योग	$\frac{18341}{6} = 3057$

इनका औसत 3057 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित –द कृषि में नियोजनों के श्रमिकों के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिससे कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ–4–(सी)–3–88–सोलह ए, दिनाँक 12.09.1989 (राजपत्र, दिनाँक 14.09.1989) द्वारा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है ।

हस्ता./-
(विवेक ढांड)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर.

श्रम आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए 01.04.2010 से 30.09.2010 की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 4 (सी) 3—88—16—ए, दिनाँक 12.09.1989 (राजपत्र, दिनाँक 14.09.1989) के अंतर्गत् कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है ।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2010/——— दिनाँक —————— के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 3057 रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 661 (1960=100), जनवरी से जून 1988 के आधार पर आँकड़ों के ऊपर जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि में 295 औसत बिंदुओं की वृद्धि तथा कुल औसत बढ़कर 2396 बिंदुओं का रहा है, जिसके कारण कृषि श्रमिकों को परिवर्तनशील महँगाई भत्ता प्रतिमाह 2396.00 रूपये या 79.86 रूपये प्रतिदिन (30 दिन के मान से), दिनाँक 01.10.2009 से 30.09.2010 तक देय है । तथा न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कृषि श्रमिकों के लिए मूल वेतन 13.70/— पैसे प्रतिदिन में रूपये 6.43/—पैसे के वृद्धि का निर्णय लिये जाने से प्रतिदिन का मूल वेतन रूपये 20.13/— एवं प्रतिमाह रूपये 603.90/— पैसा प्रभावशील होगा।(अनुसूची—"द")

हस्ता./—
(विवेक ढांड)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर.

अनुसूची--"द"

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है । (आँकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनाँक 01.10.2009 से 31.3.2010							दिनाँक 01.04.2010 से 30.9.2010					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
411.00	13.70	2101	70.03	2512.00	83.73	अकुशल कृषि श्रमिक	603.90	20.13	2396.00	79.8[illegible]	2999.90	100.00

हस्ता./-

(विवेक ढांड)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

छत्तीसगढ़, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

क्रमांक/आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2010/2285.— न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25-05-1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं, विवेक ढांड, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर, विगत जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूं :—

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100)
जुलाई, 2009	741
अगस्त, 2009	750
सितम्बर, 2009	755
अक्टूबर 2009	764
नवम्बर, 2009	778
दिसम्बर 2009	782
योग	4570 / 6 = 762

अतः विगत् छः माहों का औसत 762 घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा । इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ–4–(सी)–1–97–सोलह ए, दिनाँक 12.01.1999 (राजपत्र, दिनाँक 15.01.1999) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–(सी)–1–97–सोलह ए, दिनाँक 18.03.1999 (राजपत्र, दिनाँक 02.04.1999 में प्रकाशित) के द्वारा निर्देशित उक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनाँक 01.04.2010 से 30.09.2010 तक देय है

हस्ता./-
(विवेक ढांड)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर.

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

—: अगरबत्ती उद्योग :—

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/ श्र0आ0/2009/------- दिनाँक ------- के अनुसार जुलाई, 2009 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 762 रहा है। इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जुलाई, 2009 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि 410 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। (762–352=410 प्वाईंट) जिसके परिणाम स्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिंदु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिए 5.13 रूपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनाँक 01.04.2010 से 30.09.2010 तक देय है ।

श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–(सी)–1–97–सोलह ए, दिनाँक 12.01.1999 (राजपत्र, दिनाँक 15.01.1999 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–(सी)–1–97–सोलह ए, दिनाँक 18.03.1999 (राजपत्र, दिनाँक 02.04.1999 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनाँक द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनाँक – 01.04.2010 से 30.09.2010 तक देय है ।

अनुसूची–"एफ"

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें :–

कर्मचारी का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ–अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	6.31 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार	11.44 पैसे
सुगंधित (सेंटेड)	6.78 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिंदु)	11.91 पैसे

आ – निम्न वज़न के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनो-ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना ।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

			रू0/पैसे
1.	10 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 5.37 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500	9.47
2.	20 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	9.94
3.	30 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	9.94
4.	40 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 7.60 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	12.73
5.	70 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 10.28 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	17.13
6.	80 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 11.05 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	19.25
7.	100 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 11.92 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	20.12
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू0 14.28 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	24.53

सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	9.94
2.	20 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 7.25 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	12.38
3.	30 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 8.62 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	15.47
4.	40 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 9.12 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	15.97
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू0 10.52 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	17.37
6.	80 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 11.92 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	20.12
7.	100 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 13.33 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	23.58
8.	200 ग्राम वज़न के प्रति सैकड़ा रू0 15.21 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	25.46

(ई) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तीयों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

			रू0/पैसे
1.	10 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 4.45 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिंदु)	7.85
2.	12 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 4.90 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिंदु)	8.30
3.	23 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 5.82 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	9.92
4.	50 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 6.31 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	10.41
5.	100 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 7.25 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	12.38
6.	200 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 8.41 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	13.54

(ई ई) सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :–

1.	5 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 0.94 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 2500 (0.0020 पैसा प्रति बिंदु)	1.76
2.	10 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रू0 1.15 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 2200 (0.0022 पैसा प्रति बिंदु)	2.05
3.	पुगंली बनाने के कागज प्रति 1000 रू0 18.00 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 1500 (0.0033 पैसा प्रति बिंदु)	19.35

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर)
न्यूनतम मजदूरी

क्र0	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1.	एकाऊँटेंट केशियर, गोडाउन कीपर	1699.75	65.37	2044.00	78.61	3743.75	143.99
2.	टाईपिस्ट, क्लर्क	1590.50	61.17	2044.00	78.61	3634.50	139.79
3.	मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी बनाने वाले	1699.75	65.37	2044.00	78.61	3743.75	143.99
4.	पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला	1590.50	61.17	2044.00	78.61	3634.50	139.79
5.	पुड़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य	1482.40	57.01	2044.00	78.61	3526.40	135.63

नोट :– अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनानें वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाऊँटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी ।

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (व्ही0डी0ए0) जनवरी, 1997 से जून, 1997 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमे इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 352 (1982=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिए प्रति बिंदु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिए रूपये 5.00 प्रति बिंदु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा । जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रेल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी । इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा । उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा ।
2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है ।
3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहाँ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा ।

हस्ता./-
(विवेक ढांड)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.